


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (967)/ 2018 / दिनांक:-

आदेश

श्री राकेश चन्द्र, स्वास्थ्य निरीक्षक, अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प०क०) अजमेर, जिनकी जन्मतिथि दिनांक 02.03.1959 है, को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2019 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश चन्द्र, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई भी विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-32/स्वा./स्वा.निरी./ (967)/ 2018 / 214
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 16/5/2018

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज० जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 488 दिनांक 19.01.2018 के सन्दर्भ में।
4. अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प०क०) अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के सेवानिवृत्ति से पूर्व नोड्यूज एवं रिकवरी की सूचना प्राप्त कर, पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर, पेंशन विभाग को भिजवाते हुए निदेशालय को अवगत करावे।
5. श्री राकेश चन्द्र, स्वास्थ्य निरीक्षक, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।